<u>द्वारा ई-मेल</u>

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

पत्र संख्याः रीडर-प्रगति आख्या/2022 दिनांकः अप्रैल, 25 2022

सेवा में,

माननीय रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
<u>प्रिसिपल बेंच नई दिल्ली</u>

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं- 403/2019 हैदर खांन बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 एवम् अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोद्य

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि ग्राम लहुरेटा थाना नरैनी तहसील नरैनी जनपद बांदा से अवैध खनन के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार खान अधिकारी बांदा जनपद बांदा द्वारा दिनांक 07.03.2020 को मु0अ0सं0 47/2020 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खजि अधिनियम व 3 लो0सं0क्षति निवारण अधि0 एवं दिनांक 15.03.2020 को पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2020 धारा 379 भादवि व 4/21 खजि अधिनियम थाना नरैनी जनपद बांदा पर पंजीकृत कराये गये है। जिनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की प्रगति आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भ में क्षेत्राधिकारी नरैनी जनपद बांदा द्वारा प्रेषित मु0अ0सं0 47/2020 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खजि अधिनियम व 3 लो0सं0क्षति निवारण अधि0 व मु0अ0सं0 54/2020 धारा 379 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम थाना नरैनी जनपद बांदा की प्रगति आख्या संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

<u>संलग्नकः यथोपरि</u>

29/04/22

पुलिस अधीक्षक
बांदा।

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक

जनपद बांदा ।

विषय- मु0अ0सं0 54/2020 धारा 379 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम थाना नरैनी जनपद बांदा की प्रगति आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि वादी श्री शैलेन्द्र कुमार खान अधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 15.03.2020 को थाना नरैनी पर दी गई तहरीर के अनुसार अभियुक्तगण फकरुद्दीन पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासीगण ग्राम लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा आदि कुल 08 व्यक्तियों द्वारा विभिन्न गाटा संख्या से अवैध रुप से खनन कर बालू /मौरंग का परिवहन किया जा रहा था, प्राप्त सूचना के आधार पर थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 54/2020 धारा 379 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम बनाम 1.फकरुद्दीन पुत्र अब्दुल रज्जाक 2.अमीरा पुत्र घसीटा 3. मंसूर पुत्र रजा हुसैन 4. शाकिर पुत्र रमजान 5. रामरतन पुत्र अघोर 6. द्वारिका पुत्र कमतू 7. आशिक खां पुत्र इमाम खां व 8. गुड्डू पुत्र हबीब निवासीगण ग्राम लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री आकाश सचान तत्कालीन नियुक्ति थाना नरैनी को सुपुर्द की गई थी। विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण करते हुए प्रारम्भिक विवेचना सम्पादित की गई, तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त की विवेचना दिनांक 17.04.2020 को उ0नि0 श्री बृजकिशोर सचान तत्कालीन नियुक्ति थाना नरैनी द्वारा ग्रहण करते हुए बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल कर सम्बन्धित हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के बयान अंकित किये गये। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1.फकरुद्दीन पुत्र अब्दुल रज्जाक 2.अमीरा पुत्र घसीटा 3. मंसूर पुत्र रजा हुसैन 4. शाकिर पुत्र रमजान 5. रामरतन पुत्र अघोर 6. द्वारिका पुत्र कमतू 7. आशिक खां पुत्र इमाम खां व 8. गुड्डू पुत्र हबीब निवासीगण ग्राम लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा को अन्तर्गत धारा 41क सीआरपीसी नोटिस तामील कराते हुए आरोप पत्र संख्या 71/2020 दिनांक 15.06.2020 को चालान मा0न्यायालय किया जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त की मूल केस डायरी मय संलग्नक दिनांक 29.07.2021 को मा0न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बांदा में दाखिल की जा चुकी है। मुकदमा उपरोक्त मा0न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रगति आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

22/04/2022

दिनांक – अप्रैल 22 , 2022

क्षेत्राधिकारी नरैनी

जनपद बांदा

पुलिस अधीक्षक

जनपद बांदा

विषयक- थाना नरैनी जनपद बांदा में पंजीकृत मु0अ0सं0 47/2020 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधि0 व 3 लो0सं0क्ष0निवा0अधि0 के प्रगति आख्या से संदर्भित।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि, थाना नरैनी जनपद बांदा में पंजीकृत मु0अ0सं0 47/2020 धारा 379/411भादवि व 4/21 खनिज अधि0 व 3 लो0सं0क्ष0निवा0अधि0 दिनांक 07.03.2020 को समय 20.11 बजे वादी श्री शैलेन्द्र कुमार खान अधिकारी जनपद बांदा द्वारा बनाम यू0पी0 90 टी 7318 आदि 18 वाहन स्वामी एवं चालकों आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री आकाश सचान व उ0नि0 अर्जुन सिंह व उ0 नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह व उ0नि0 श्री श्रीकान्त शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना की सफल निस्तारण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा द्वारा अपने आदेश पत्रांक – रीडर-विवेचना स्थानान्तरण/2021 दिनांक 23 नवम्बर 2021 को पारित किया गया तत्पश्चात उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक नरैनी को आदेश के क्रम मे ग्रहण किया गया। प्रभारी निरीक्षक नरैनी द्वारा विवेचना को ग्रहण करते हुये सम्पूर्ण किता दैनिकी का अवलोकन करते हुये अभियोग उपरोक्त के नामित व प्रकाश मे आये वाहन ट्रक सख्या यूपी 78 टी 7318 लगायत ट्रक नंबर यूपी 72 टी 7814 कुल 16 अदद वाहनो के वाहन स्वामी व वाहन के चालकों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर जुर्म धारा 379/411भादवि व 4/21 खनिज अधि0 व 3 लो0सं0क्ष0निवा0अधि0 के अन्तर्गत चालान जरिये आरोप पत्र संख्या 58/22 दिनांक 22/04/2022 को मा0 न्या0 प्रेषित किया गया है तथा अभियोग उपरोक्त में शेष वाहन संख्या यूपी 78 सीटी 4994 का चालक मुकीम पुत्र मुन्नी खां निवासी करनईपुर भोगनीपुर कानपुर देहात व वाहन संख्या यूपी 78 सीटी5012 का चालक सलमान पुत्र इशरत खां निवासी करनईपुर भोगनीपुर कानपुर देहात व ट्रक संख्या यूपी 78 सीटी 4717 का चालक शाहिद पुत्र वकील खां निवासी करनईपुर भोगनीपुर कानपुर देहात व ट्रक संख्या यूपी 78 एएन 4040 का चालक अभय सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मवइया हाथीपुर थाना महाराजपुर जिला कानपुर नगर व ट्रक संख्या यूपी 77 एएन 4141 का चालक पंकज कुमार पुत्र रमेश चन्द्र कुशवाहा निवासी दौलतपुर तिरोही थाना घाटमपुर कानपुर नगर व ट्रक संख्या यूपी 90 टी 7893 के वाहन स्वामी हसीब अली पुत्र गौशान निवासी अलीगंज को0 नगर जनपद बांदा व ट्रक संख्या यूपी 78 टी 7814 वाहन स्वामी मुहम्मद अहमद पुत्र हफीज कौशल निवासी ललौली थाना ललौली जनपद फतेहपुर व ट्रक संख्या यूपी 78 एफटी 0717 के चालक राघवेन्द्र सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी हड्हा गांव कानपुर नगर के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

प्रगति आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

22/04/2022

(नितिन कुमार)

क्षेत्राधिकारी नरैनी

जनपद बांदा